बिहार सरकार
समाहरणालय, बांका

(जिला सामाजिक सुरक्षा–सह– दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग)

आदेश

राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार पटना के पत्रांक–सं0–1526 दिनांक 18.12.2020 द्वारा डॉ0 शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार पटना का बांका जिला में दिनांक–27.12.2020 से 31.12.2020 दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतां की सुनवाई का आयोजना किया जाना है, जिसमें संबंधित कार्यक्रम निम्न निर्धारित किया जाता है–

क्र.	तिथि	समय	कार्यक्रम	स्थान	नोडल पदाधिकारी	नोडल पदाधिकारी
1	27.12. 2020	03.30 अप0	इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि के साथ सम्वाददाता सम्मेलन / प्रेस वार्ता	जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क का सभाकक्ष	प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियागण	जिला सूचना एवं जन– सम्पर्क पदाधिकारी, बांका।
2	28.12. 2020	09.00 पू0 से 4.00 आ0 तक	बांका अनुमंडल अन्तर्गत आने वाले प्रखंड– बांका, रजौन, अमरपुर , कटोरिया, बौंसी, शंभुगंज, बाराहाट, बेलहर, चांदन, फुल्लीडुमर, धोरैया प्रखंडों में दिव्यांजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की धारा–72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी / समीक्षात्मक बैठक	प्रखंड / पंचायत मुख्यालय / बुनियाद केन्द्र	प्रखंड, बांका, बाराहाट, रजौन, बेलहर के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी यथा कल्याण पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, बाल विकास पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, अस्पताल प्रभारी, प्रखंड जीविका प्रबंधक, विकास मित्र, पंचायत सचिव, प्रखंड स्तर के सभी कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों एवं प्रखंड स्तर के दिव्यांगजन।	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बांका, बाराहाट, रजौन एवं बलेहर
		04.00 आ0 से 05.30 बजे अप0 तक	बांका अनुमंडल अन्तर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा–72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांजन समूह एवं प्रखंड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनक साथ एडभोकेसी / समीक्षात्मक बैठक	बांका अनुमंडल का बुनियाद केन्द्र	अनुमंडल पदाधिकारी , अपर अनुमंडल पदाधिकारी, एस0डी0पी0ओ0एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, परिववहन, पथ निर्माण, भवन / स्थायी निर्माण क्षेत्र पदाधिकारी एवं दिव्यांग तथा अनुमंडल स्तर का दिव्यांगजन	अनुमंडल पदाधिकारी, बांका
3	29.12. 2020	10.00 पू0 से 12. 00 बजे अप0	जिला के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक। (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा) उपस्थिति– 1. उप विकास आयुक्त, बांका 2. जिला विधिक सेवा प्राधिकार। 3. उप समाहर्त्ता, प्रभारी बैंकिंग बांका। 4. पुलिस उपाधीक्षक बांका (मुख्यालय)। 5. अपर समाहर्त्ता, बांका 6. अनुमंडल पदाधिकारी, बांका। 7. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बांका जिला 8. असैनिक शल्य चिकित्सक –सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बांका।	जिला सभागर		उप विकास आयुक्त / जिला पदाधिकारी

			9. श्रम अधीक्षक, बांका। 10. जिला आपदा, प्रबंधन, बांका। 11. जिला वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी। 12. जिला पशुपालन पदाधिकारी, बांका। 13. निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बांका 14. जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बांका। 15. जिला नियोजन पदाधिकारी, बांका। 16. कार्यपालक अभियंता , भवन प्रमंडल/पथ प्रमंडल, बांका। 17. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (सर्व शिक्षा अभियान) बांका 18. जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका। 19. जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका। 20. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, कोषांग, बांका 21. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बांका। 22. जिला परिवाहन पदाधिकारी , बांका। 23. कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद , बांका 24. जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी , बांका 25. जिला कृषि पदाधिकारी बांका। 26. जिला आपदा प्रबंधन प्रभारी पदाधिकारी, बांका 27. जिला खेलकूद पदाधिाकरी, बांका। 28. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिाकरी, बांका 29. अनुमंडल लो0शि0नि0 पदा0, बांका। 30. कार्यपालक पदाधिकारी नगर, परिषद, बांका। 31. जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण, बांका। 32. कारा अधीक्षक, बांका। 33. उप निर्वाचन पदाधिकारी, बांका। 34. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बांका। 35. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बांका। 36. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बांका। 37. प्रभारी पदाधिकारी जिला लीड बैंक, बांका। 38. जिला प्रबंधक जीविका, बांका।			

			39. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र बांका। 40. जिला विकलांग (दिव्यांगजन) पूर्नवास केन्द्र , नोडल पदाधिकारी, बांका 41. जिला हैड, ग्राहक सेवा केन्द्र (सी0एस0पी0), बांका। 42. जिला समन्वयक मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)। 43. जिला समन्यवक प्रधानमंत्री आवास।			
4	29.12. 2020	12.00 अप0 से 01. अप0 तक	पुलिस अधीक्षक / उप पुलिस अधीक्षक एवं जिले के प्रमुख थाना प्रभारी (एस0एच0ओ0) विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक।	जिला सभागार		इस बैठक के आयोजन हेतु पुलिस अधीक्षक, बांका अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ ही सभी संबंधित को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे।
		01.00 अप0 से 02.00 अप0	विभिन्न कॉलेज / कोचिंग संस्थान एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक। उपस्थिति– 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका। 2. प्रधानाचार्य , बांका जिला अन्तर्गत सभी महाविद्यालय। 3. प्रधानाचार्य पॉलिटेकनिक कॉलेज, बांका 4. सभी आई0टी0आई0 कॉलेज के प्राचार्य। प्रभारी पदाधिकारी, डी0 आर0 सी0 सी0, बांका	शिक्षा विभाग सभाकक्ष।		उप विकास आयुक्त, बांका / जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका।
			02.00 अप0 से भोजनावकाश			
		02.00 अप0 से 03.00 अप0	लीड बैंक के साथ स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधि के साथ बैठक। उपस्थिति– 1. जिला बैंकिंग , उप समाहर्त्ता, बांका। 2. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, बांका। 3. बांका जिला अन्तर्गत सभी बैंकों के शाखा, प्रबंधक।	समाहरणालय सभागार, बांका।		उप समाहर्त्ता, प्रभारी / एल0डी0एम0 बैंकिग।
		03.00 अप0 से 04.00 अप0	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धार 13 (2) के तहत! ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांग सेरेब्रल पॉल्सी एवं बहु दिव्यांग के पुनर्वास की व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय लोकल लेवल कमिटि की बैठक / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक।	जिला पदाधिकारी कक्ष।		जिला पदाधिकारी।
		04.00 अप0 से 05. अप0 तक	रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं मार्ग का निरीक्षण। उपस्थिति– 1. स्टेशन अधीक्षक / उपाधीक,	रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं मॉल इत्यादि जगहों पर।		कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, बांका

			बांका। 2. जिला उद्योग पदाधिकारी, बांका। 3. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बांका। 4. अनुमंडल पदाधिकारी, बांका।			/अनुमंडल पदाधिकारी, बांका।
5	30.12. 2020	11.00 बजे पू0 से 01. 00 बजे अप0 तक	जनप्रतिनिधियों /पंचायत प्रतिनिधि/बोर्ड प्रतिनिधि/ सिविल सोसाईटी/समाजसेवी के साथ बैठक। उपस्थिति– 1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बांका 2. सभी लेखा–सह–आई0टी0 सहायक। 3. नगर परिषद के सभी पार्षदगण। 4. प्रखंडों के प्रमुख के साथ। 5. प्रमुख पंचायत प्रतिनिधियों के साथ। दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि।	जिला परिषद भवन/नगर परिषद सभाकक्ष।		उप विकास आयुक्त, बांका/ जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बांका/ कार्यपालक पदाधिकारी/ नगर परिषद, बांका संयुक्त रूप से।
		01.00 बजे 02.00 अप0 तक	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला तथा प्रखंड स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राईवेट एवं सरकारी स्कुल के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक। (एडवोकेसी बैठक) उपस्थिति– 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका 2. सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा) बांका जिला। 3. सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बांका जिला। 4. सभी प्राईवेट एवं सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य।	डी0आर0सी0सी0, बांका।		जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका।
			02.00 बजे अप0 भोजनावकाश			
		03.00 अप0 से 04. बजे अप0 तक	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बांका एवं प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सकों/ जिला दिव्यांगता प्रमाणीकरण के सदस्य (बोर्ड मेम्बर) तथा प्रपत्रों रजिस्टर मेन्टन हेतु पी0एच0सी0 के क्लर्क एवं सहायक के साथ बैठक।	सदर अस्पताल, बांका।		स0डी0सी0 (स्वास्थ्य सेवा/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बांका।
		04.00 अप0 से 05.00 अप0	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, बांका सभी सी0डी0पी0ओ0, बांका जिला एवं आंगनबाडी महिला पर्यवेक्षिका के साथ बैठक एव स्थानीय सेविका।	नगर भवन, नगर परिषद, बांका।		डी0पी0ओ0, आई0सी0डी0एस0, बाका
			विकास मित्र, न्याय मित्र, समावेशी शिक्षकों एवं बुनियाद केन्द्र के कर्मचारियों जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0एल0भी0 के भोलेन्टीयर्स के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक।			जिला शिक्ष पदाधिकारी /सचिव जिला विधिक सेव प्राधिकार, जिल पंचायत राज पदाधिकारी, बांका

6	31.12. 2020	10.00 पू0 से 07.00 अप0 तक (अंतिम निष्पादन तक)	दिव्यांजनों के परिवादों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय (लोक अदालत)।	चलन्त न्यायालय का आयोजन स्थल प्रखंड बांका सभागार बांका।		उप विकास आयुक्त, बांका/ सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा / दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बांका।

राज्य आयुक्त निःशक्तता के उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्न प्रकार से निदेश दिये जाते है :–

1. जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, बांका दिनांक–27.12.2020 को 03.30 बजे अप. से जिला सूचना एवं जनसंपर्क का सभाकक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेस हेतु जिलान्तर्गत सभी प्रिंट एव इलेक्ट्रोनिक मिडिया के प्रतिनिधि को भाग लेने हेतु अनुरोध–पत्र अपने स्तर से निर्गत करेंगे तथा अपनी उपस्थिति में नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेस सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. दिनांक–29.12.2020 को 10.00 बजे से 12.00 बजे तक सभा कक्ष समाहरणालय, बांका में आयोजित समीक्षात्मक बैठक हेतु सभी संबंधित पदाधिकारी उनसे संबंधित प्रतिवेदन के साथ बैठक में भी भाग लेंगे। राज्य आयुक्त, निःशक्तता , बिहार पटना के पत्रांक–1526 दिनांक–18.12.2020 (छायाप्रति संलगन)
3. दिनांक–29.12.2020 को 12.00 बजे से 01.00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बांका एवं सभी थानों के थाना प्रभारी को अपने स्तर से बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित करेंगे।
4. उप विकास आयुक्त, बांका/जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका दिनांक–29.12.2020 को 01.00 बजे से 02.00 बजे तक आयोजित बैठक में नोडल पदाधिकारी के रूप में सूचारू रूप से बैठक सम्पन्न करायेंगे।
5. जिला बैंकिंग उप समाहर्त्ता, बांका दिनांक–29.12.2020 को 02.00 बजे से 03.00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, बांका के साथ समन्वय स्थापित कर सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें अलग से पत्र भी निर्गत किया जाय।
6. कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, बांका दिनांक–29.12.2020 को 04.00 बजे से 05.00 बजे तक उनके निरीक्षण के दौरान उनके वाहन के साथ भ्रमणशील रहेंगे। उनसे निदेश प्राप्त कर उनके निरीक्षण में आवश्यक सहयोग देंगे।
7. उप विकास आयुक्त, बांका/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका दिनांक–30.12.2020 को 11.00 बजे से 01.00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु अपने स्तर से सभी को सूचित करेंगे।
8. जिला शिक्षा पदाधिकारी, बाका 30.12.2020 को 01.00 बजे से 02.00 बजे तक आयोजित बैठक को नोडल पदाधिकारी के रूप में सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे तथा सभी कॉलेज एवं शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे।
9. असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बांका दिनांक–30.12.2020 को 03.00 बजे से 04.00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु अपने स्तर से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांका जिला को भाग लेने हेतु निदेश देंगे। साथ ही नोडल पदाधिकारी के रूप में बैठक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आइ0सी0डी0एस0) बांका दिनांक–30.12.2020 को 04.00 बजे से 05.00 बजे तक आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी ऑगनबाडी पर्यवेक्षिका को अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित करेंगे।
11. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बांका से अनुरोध है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0एल0वी0 के वोलेनटीयर्स को दिनांक–30.12.2020 को 04.00 बजे से 05.00 अप0 आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु निदेश देंगे।
12. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र स्वंय अपने सभी कर्मियों के साथ दिनांक–27.12.2020 से 31.12.2020 तक 07.00 बजे पूर्वा0 से कार्यक्रम समाप्ति तक निर्धारित सभी बैठकों में राज्य आयुक्त निःशक्तता के साथ उपस्थित रहेंगे।

उपरोक्त के अलावे जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निम्न प्रकार से कर्त्तव्य निर्धारित किये जाते है–

1. जिला नजारत उप समाहर्त्ता, बांका– भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि में जिला अतिथि गृह, बांका में उनके आवासन एवं भोजनादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें। राज्य आयुक्त निःशक्तता दिनांक–27.12.2020 से 31.12.2020 तक जिला अतिथि गृह, बांका में रहेंगे। उनके साथ एक कार्यालय परिचारी की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः नजारत उप समाहर्त्ता, बांका के द्वारा कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति 27.12.2020 से 31.12.2020 तक के लिए की जायेगी। तथा दिनांक–31.12.2020 को ई–चलंत न्यायालय **प्रखंड सभागार बांका** सदर में एक कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। जिनके द्वारा चलंत न्यायालय के कार्य में सहयोग किया जायेगा।

2. स्थापना उप समाहर्त्ता, बांका –

(क). जिला अतिथि गृह, बांका में दिनांक–27.12.2020 से 31.12.2020 तक एक लिपिक, एक कार्यपालक सहायक एवं एक कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति कार्यालय अवधि में की जायेगी, जिनके द्वारा राज्य आयुक्त निःशक्तता के निदेशानुसार प्रतिवेदन आदि का संग्रहण किया जायेगा।

(ख).दिनांक–31.12.2020 को ई–चलंत न्यायालय **प्रखंड सभागार बांका** सदर में 02 आशुलिपिक (डिक्टेशन प्राप्त करने तथा आदेश निर्गत करने हेतु) जिनके द्वारा चलंत नयायालय के कार्य में सहयोग किया जायेगा।

3. प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बाका को निदेश दिया जाता है कि ई–चलंत न्यायालय में विधि –व्यवस्था हेतु संयुक्त आदेश निर्गत करने की व्यवस्था की जाय।
4. सिविल सर्जन, बांका दिनांक–31.12.2020 को लोक आदालत के दौरान दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु मनो चिकित्सक सहित जॉच दलों की प्रतिनियुक्ति सभी प्रखंड सभागार में करना सुनिश्चित करेंगें।
5. सूचना एव जन–सम्पर्क पदाधिकारी, बांका दिनांक–27.12.2020 से 31.12.2020 तक प्रतिदिन लोक अदालत का प्रचार–प्रसार स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बांका को निदेश दिया जाता है कि दो कार्यपालक सहायक एवं दो लेखा–सह–आई.टी. सहायक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बांका में दिनांक–27.12.2020 से 31.12.2020 तक प्रतिनियुक्त करने हेतु निदेशित करेंगे।
7. सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, हेण्ड बिल के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सी0डी0पी0ओ0 के माध्यम से कार्यक्रम का प्रचार –प्रसार सुनिश्चित करेंगे।
8. राज्य आयुक्त नि'शक्तता के लाईजेनिंग पदाधिकारी के रूप में श्री दीपक कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, बांका (मो0 नं0–8709436514) को राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार के बांका जिला आगमन से उनके प्रस्थान करने तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।
9. बांका जिलान्तर्गत सभी कार्यालयों के कार्यालय प्रधान ई– चलन्त न्यायालय की तिथि को ससमय ई–चलन्त न्यायालय में उपस्थित रहेंगे एवं प्राप्त होने वाले शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
10. सरकार के स्तर से निर्गत कोविड–19 संक्रमण के Guidelines/SOP का अनुपालन की जाय। Social Distancing एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय अर्थात मास्क, सैनेटाईजर आदि का इस्तेमाल करना सुनिश्चित की जाय साथ ही संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन की जाय।

अनुलग्नक– राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार पटना के पत्रांक–1526 दिनांक–18.12.2020 (छायाप्रति संलगन)

ज्ञापांक–375 **/सा0सु0, दिनांक–** 27, 12-2020

1. प्रतिलिपि–सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, निदेश दिया जाता है कि दिव्यांजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की धारा–72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह बनाने तथा इनके साथ एडभोकेसी /समीक्षात्मक बैठक हेतु आवश्यक सभी तैयारियाँ यथा–कुर्सी, टेबल, टेंट, अल्पहार आदि आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित करते हुए सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बांका को प्रतिवेदित करेंगे।
2. प्रतिलिपि–सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बांका जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। दिनांक–31.12.2020 को ई–चलंत न्यायालय **प्रखंड सभागार बांका** सदर में होना है। साथ ही निदेश दिया जाता है कि अपने –अपने प्रखंड स्तर से दो–दो कार्यपालक सहायक कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर सहित अपने–अपने प्रखंड सभागार में प्रतिनियुक्त करेंगे।
3. प्रतिलिपि–सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बांका को निदेश दिया जाता है कि दिनांक–27. 12.2020 से 31.12.2020 तक बैठक एवं ई–चलंत न्यायालय में सभी आवश्यक सामग्री यथा– हेंड बील, बैनर, पोस्टर, स्टेशनरी, अल्पहार, टेंट, कुर्सी, टेबल एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रतिलिपि–अनुमंडल पदाधिकारी, बांका / असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बांका/ श्रम अधीक्षक, बांका/जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बांका/जिला नियोजन पदाधिकारी, बांका/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/पथ प्रमंडल/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षाअभियान/ जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोाांग/सहयक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बांका/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बांका/जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका/ कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद बांका/ जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, बांका/ जिला कृर्षि पदाधिकारी, बांका/जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, बांका/ जिला खेल कूद पदाधिकारी, बांका/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका/ निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बांका/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, बांका/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बांका/ कारा अधीक्षक, बांका/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, बाका/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बांका/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला बैंकिंग, शाखा, बांका/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बांका/ जिला प्रबंधक, जिविका, बांका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र में वण्रित निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए राज्य आयुक्त, निःशक्तता , बिहार पटना के पत्रांक–1526 दिनांक–18.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रतिलिपि–जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, बांका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार पटना के पत्रांक–1526 दिनांक–18.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
6. प्रतिलिपि–जिला नजारत उप समाहर्त्ता, बांका एवं स्थापना उप समाहर्त्ता, बांका को निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बांका को प्रतिवेदित करेंगे।
7. प्रतिलिपि–अपर समाहर्त्ता, बांका / उप विकास आयुक्त, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. प्रतिलिपि–पुलिस अधीक्षक, बांका को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त तिथि को राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार के लिए स्कॉट, अंगरक्षक एवं होम सुरक्षा के साथ–साथ दिनांक–31.12.2020 को ई–चलन्त न्यायालय के स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुरूष एवं महिला बल की व्यवस्था करने की कृपा की जाय।
9. प्रतिलिपि–सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बांका को सूचनार्थ । अनुरोध है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0एल0भी0 के भोलेनटीयरस के साथ ई–चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक के लिए समुचित कार्रवाई अपने स्तर से करने की कृपा की जाय।
10. प्रतिलिपि–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांका को सादर सूचनार्थ।
11. प्रतिलिपि–आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सादर सूचनार्थ।
12. प्रतिलिपि–राज्य आयुक्त, निःशक्तता (दिव्यांगजन) बिहार पटना को सादर सूचनार्थ।
13. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह– निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
14. प्रतिलिपि–निदेशक, दिव्यांगता सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ।

26/12/20

जिला पदाधिकारी,
बांका